निरीक्षण आख्या

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 16.07.2020 को नगर निगम द्वारा कराये जा रहे नाला कवर्ड के कार्यों का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी/सम्बन्धित ठेकेदार उपस्थित रहे–

1– श्री पी.के. मित्तल	मुख्य अभियन्ता(सिविल)
2– श्री विश्वनाथ बनर्जी	अवर अभियन्ता(सिविल)
3– श्री पवन कुमार	अवर अभियन्ता(सिविल)
4– श्री मुनीदेव	अवर अभियन्ता(सिविल)

1– अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वप्रथम वार्ड 28 पुरातत्व विभाग कंकालीकुण्ड से बी.एस.ए. कॉलेज तक सड़क की एल.एच.एस. व आर.एच.एस. में नाले को आर.सी.सी. स्लैब पटि्टयों से कवर करना व नाले के क्षतिग्रस्त आंशिक भाग की मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया गया। वर्तमान में स्थल पर स्लैब बनी हुयी पायी गयी, नाले को कवर करने का कार्य बाकी है। कार्य चलते

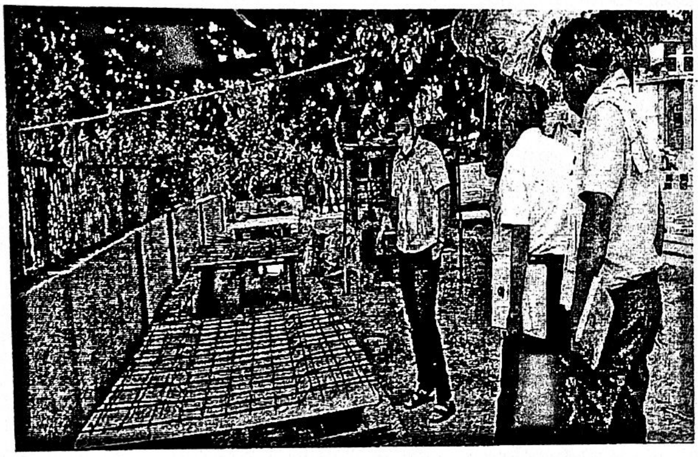

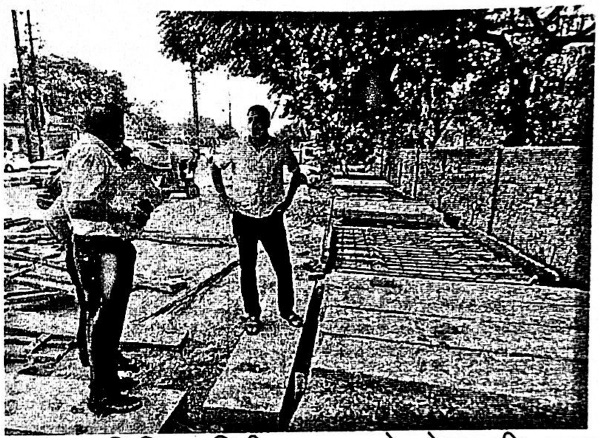

समय प्रतिदिन निरीक्षण करने हेतु श्री पवन कुमार, श्री विश्वनाथ बनर्जी व श्री मुनीदेव अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया। स्लैब तैयार करने में आगणन के अनुसार किस रेसियो का मसाला लिया गया है अवर अभियन्त द्वारा अवगत कराया गया कि स्लैब तैयार करने के लिये 1:1.5:3 आगणन के अनुसार स्लैब तैयार करने में मसाले का प्रयोग किया गया है। निर्देशित किया गया कि प्रोपर तराई करायी जाय। नाले को कवर कराते समय लेवलिंग का ध्यान रखा जाय, सभी स्लैब में समानता होनी चाहिये। स्लैब में प्रयोग की गयी सरिया की गुणवत्ता के सम्बन्ध में एवं भविष्य में सफाई कराने के लिये जे0सी0बी0 से हटाने पर कोई भी स्लैब टूटेगी नहीं का प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता,सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें। उसके उपरान्त ही भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय। उपयोग किये गये मसाले की स्ट्रैंथ की जांच करा ली जाय। नगर निगम द्वारा वर्तमान में जो भी नाले के कार्य कराये जा रहे हैं उनके लिये भविष्य में नाले में कोई भी क्षति होती है तो उस कमी को ठीक करने के लिये एवं रख–रखाव हेतु ठेकेदार से हुये/होने वाले अनुबन्ध में 05 वर्ष की शर्त रखी जाय। अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सी एण्ड डी वेस्ट को हटवा दिया गया है, का प्रमाण–पत्र भी पत्रावली में प्रस्तुत करेगें। कार्य से पूर्व, चलते हुये कार्य एवं कार्य के बाद के फोटोग्राफ भी पत्रावली में संलग्न हों।

2— वार्ड नं0 32 मण्डी चौराहा से कृष्णानगर रोड तिराहे तक बांयी ओर नाले को आर.सी.सी. स्लैब द्वारा कवर करने का कार्य का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया

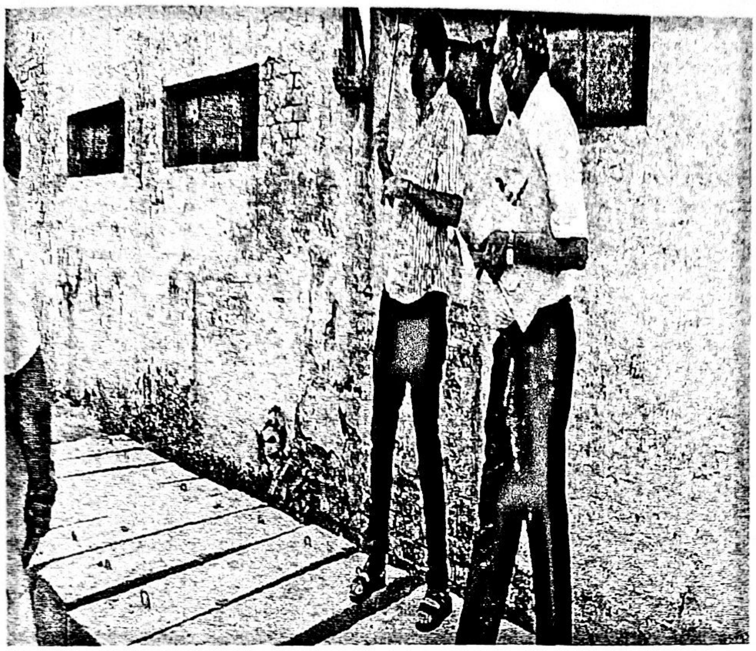

कि, नाले को कवर्ड किये जाने में प्रयोग की गयी स्लैबों में समानता नही पायी गयी लगभग 250 मीटर में खराब क्वालिटी की स्लैब डाली गयी है जिससे प्रतीत होता है कि, मानक के अनुरूप कार्य नहीं किया गया है। लगभग 250 मीटर में खराब क्वालिटी की स्लैबों को हटवा कर दिनांक 23.07.2020 तक पुनः मानक के अनुसार कार्य कराये जाने हेतु स्थल पर उपस्थित अवर अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता(सिविल)को निर्देशित किया गया। अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व मुख्य अभियन्ता(सिविल) इसका प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेगें कि, खराब क्वालिटी की स्लैबों का हटवाकर कार्य मानक के अनुसार करवा दिया गया है और स्थल से सी एण्ड डी वेस्ट को भी हटवा दिया गया है, पत्रावली में संलग्न किया

जाय। उक्त कार्य में प्रयोग किये गये मसाले की स्ट्रैंन्थ की जांच करा ली जाय। यदि भविष्य में निरीक्षण के दौरान कार्य मानक के अनुसार नहीं पाया जाता है तो, सम्बन्धित के विरूद्ध प्रस्तावित कर दी जायेगी।

3— वार्ड नं0—09 के अन्तर्गत मंडी चौराहे से सौंख रोड की ओर नरसी बिहार कॉलौनी के गेट तक नाले को आर.सी.सी. स्लैब द्वारा कवर करने के कार्य का निरीक्षण किया गया। स्थल पर कार्य सही पाया गया। सौंख रोड पर बाजार समाप्त होने उपरान्त सी एण्ड डी वेस्ट पड़ा हुआ था जिसको हटवाये जाने हेतु अवर अभियन्ता को निर्देशित किया गया।

नगर निगम द्वारा जो भी नाले कवर्ड कराये जाने के कार्य कराये जा रहे हैं उन पर सौन्दयीकरण हेतु टाइल्स लगायी जानी है। उक्त नालों पर चैकर टाइल्स या सीमेन्टिड टाइल्स ठीक प्रकार से प्रयोग हो पायेगीं के लिये अवर अभियन्तागण श्री पवन कुमार, श्री मुनीदेव प्रस्ताव से औचित्य सहित अवगत करायेगें, इस हेतु भी निर्देशित किया गया।

20/7/

(रविन्द्र कुमार मांदड)
नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा—वृन्दावन।

संख्या 201 / एम०डी०-2 / निर्मा० / 2020-21 दिनांक- 20-7-2020

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को अनुपालनार्थ।

1– मुख्य अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता(सिविल)।

2– लेखाधिकारी को इस निर्देश के साथ कि, उपरोक्तानुसार जो भी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है वो पत्रावली में संलग्न होने के उपरान्त ही भुगतान हेतु पत्रावली प्रस्तुत की जाय।

नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

5/8/20

05/08/2020

5/8/20